सिविल विविध

न्यायमूर्ति आर. एस. नरूला के समक्ष

द्रौपति - ***अपीलकर्ता***

बनाम

चिंता और अन्य, - **उत्तरदाता**

1971 की सिविल विविध संख्या 1396/सी और 1971 की सिविल विविध संख्या 1397/सी में 1961 के आर.एस.ए.

13 सितंबर, 1971

सिविल प्रक्रिया ***संहिता*** *(*1908 ***का V) - आदेश*** 41, नियम ***21 - पंजाब*** उच्च न्यायालय के नियम और ***आदेश***, खंड V - अध्याय ***3-ए***, ***नियम*** 8 ***का परंतुक*** - ***उच्च न्यायालय*** में लंबित अपील - प्रतिवादियों *के वकील की मृत्युन्यायालय प्रतिवादियों को सुनवाई की वास्तविक तारीख की सूचना जारी नहीं कर रहा है - अपील पर एकतरफा निर्णय लिया गया है - ऐसे प्रतिवादी - क्या अपील को बहाल करने और फिर से सुनवाई करने के हकदार हैं।*

*यह माना गया*कि जहां अपील का प्रतिवादी अपने वकील का वकालतनामा दायर करता है, तो मामले की देखभाल करना वकील का कर्तव्य है और जब

वकील की मृत्यु हो जाती है, तो यह अदालत का कर्तव्य है कि वह प्रतिवादी को सीधे सूचित करे कि उसका वकील मर चुका है और दूसरे वकील की व्यवस्था की जा सकती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है और अपील का एकतरफा निपटारा किया जाता है, तो प्रतिवादी अपील को बहाल करने और नागरिक प्रक्रिया संहिता के नियम 21 के आदेश 41, नियम 21 के तहत फिर से सुनवाई करने का हकदार है। उसे सुनवाई की वास्तविक तारीख की सूचना के साथ सूचित नहीं करने और सेवा देने में न्यायालय के कार्यालय की त्रुटि के लिए पीड़ित नहीं होना चाहिए।

(पैरा 3)

आदेश 41, नियम *21* सी.पी.सी. और एस *के तहत आवेदन।* 151 *सी: पी, सी; यह अनुरोध करते हुए कि माननीय न्यायमूर्ति आर एस नरूला द्वारा 1 अप्रैल,* 1971 को एकपक्षीय रूप से तय की गई उपर्युक्त नियमित द्वितीय अपील *पर फिर से सुनवाई की जाए और आवेदक-प्रतिवादियों के खिलाफ पारित डिक्री को रद्द कर दिया जाए।*

सिविल मिस 1971 की धारा 1397/सी : आदेश 41, नियम 5 के तहत आवेदन, धारा 151 सीपीसी के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें प्रार्थना की जाती है कि विवादित भूमि से आवेदकों का कब्जा और इस आवेदन के लंबित रहने के दौरान डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाई जाए।

आर. एल. बत्ता, वकील, *आवेदकों-उत्तरदाताओं के लिए।*

बी.एन. अग्रवाल, वकील, *अपीलकर्ताओं के लिए।*

ऑर्डर

न्यायमूर्ति नरूला- (1) यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम *21 के तहत 1* अप्रैल, 1971 को 1961 की नियमित दूसरी अपील 361 में मेरे द्वारा पारित एकतरफा फैसले और डिक्री को इस आधार पर रद्द करने के लिए एक आवेदन है कि आवेदकों (जो अपील में प्रतिवादी थे) के विद्वान वकील श्री अमर चंद होशियारपुरी की 23 जनवरी को मृत्यु हो गई थी। 1970 के बाद आवेदकों को इस मामले में प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, और फिर भी न्यायालय द्वारा उन्हें श्री होशियारपुरी की मृत्यु के बारे में सूचित करने और उन्हें इस न्यायालय में प्रतिनिधित्व करने के लिए अन्य व्यवस्था करने का अवसर देने के लिए कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों के अध्याय 3-ए, खंड V के नियम 8 के प्रावधान में यह अपेक्षा की गई है कि किसी मामले में निर्धारित सुनवाई की वास्तविक तारीख (पक्की तारीख) की सूचना ऐसे पक्षों को पंजीकृत डाक (पावती) द्वारा भेजी जानी चाहिए, जिनका प्रतिनिधित्व संभावित तिथि के लिए नोटिस जारी होने के बाद वकील द्वारा नहीं किया गया है। यद्यपि आवेदकों का प्रतिनिधित्व स्वर्गीय श्री अमर चंद होशियार-पुरी द्वारा किया गया था, और इसलिए, उन्हें कोई वास्तविक तिथि नोटिस जारी करने का कोई प्रश्न ही नहीं

उठता, 23 जनवरी, 1970 के बाद जब श्री होशियारपुरी का निधन हो गया, तो उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया और कार्यालय को अपील में प्रतिवादियों को वास्तविक तिथि नोटिस भेजना चाहिए था, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। यह विवादित नहीं है कि ऐसा नहीं किया गया है।

(3) प्रतिवादियों के वकील श्री बीएन अग्रवाल ने इस बात पर जोर दिया है कि श्री ओम प्रकाश होशियारपुरी एडवोकेट, जो स्वर्गीय श्री अमर चंद होशियारपुरी के पुत्र हैं, को मैंने तब बुलाया था जब अपील में प्रतिवादियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था और निर्देशों के अभाव में प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने में असमर्थता व्यक्त करने के बाद ही मैं अपील पर एकपक्षीय सुनवाई के लिए आगे बढ़ा था / मेरी राय में, यह किसी भी व्यावहारिक सीमा तक मामलों में सुधार नहीं करता है। मेरे विचार से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वीडी भार्गव ने त्रिलोक चंद बनाम केरल मामले में प्रक्रिया का एक अच्छा सिद्धांत निर्धारित किया है *राम गोपाल*[1], जिसमें यह माना गया था कि जहां अपील का प्रतिवादी अपने वकील का *वकालतनामा* दायर करता है, तो मामले की देखभाल करना वकील का कर्तव्य है और जब वकील की मृत्यु हो जाती है, तो यह अदालत का कर्तव्य है कि वह प्रतिवादी को सीधे सूचित करे कि उसका वकील मर चुका है और दूसरे वकील की व्यवस्था की जा सकती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला किया कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है और अपील का एकतरफा निपटारा किया जाता है, तो प्रतिवादी नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 21 के तहत अपील को बहाल

[1] A.I.R. 1959 All 750.

करने का हकदार है। मैं कानून के इस दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हूं। अपील में प्रतिवादियों को उन्हें सूचित नहीं करने और उन्हें वास्तविक तिथि नोटिस प्रदान नहीं करने में न्यायालय के कार्यालय की त्रुटि के कारण पीड़ित नहीं होना चाहिए।

(4) इसलिए, मैं 1 अप्रैल, 1971 के अपने एकपक्षीय फैसले को याद करता हूं और रद्द करता हूं, *जिसमें नियमित द्वितीय अपील की अनुमति दी गई थी,* और उस फैसले के आधार पर इस न्यायालय द्वारा पारित एकपक्षीय डिक्री को रद्द कर दिया गया था और अपील (1961 का आरएसए 361) को बहाल किया गया था, जिसे अब 26 अक्टूबर, 1971 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा। निचली अदालतों के जिन अभिलेखों को वापस भेजे जाने की बात कही गई है, उन्हें तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। अपील को 26 अक्टूबर, 1971 को दैनिक बोर्ड के शीर्ष पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। इस आवेदन की लागत अपील के परिणाम का पालन करेगी। अपील बहाल होने के बाद, अपील के अंतिम निपटान तक आज की स्थिति बनाए रखी जा सकती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय

का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

वनित कौर सोखी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
करनाल , हरियाणा